



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक 1943 (श10)

(सं0 पटना 876) पटना, मंगलवार, 26 अक्टूबर 2021

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

26 अक्टूबर 2021

सं० : बी1-3-26/2021-51—बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-434/बिहार-वि०स०/2015 (2) दिनांक 25.10.2021 की (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

दिनांक: 25 अक्टूबर, 2021/3 कार्तिक, 1943 (शक)

सं० 434/बिहार-वि.स./2015 (2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग बिहार राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 15 सितम्बर, 2015 की समय समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/बिहार-वि०स०/2015 (2) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में, दर्शायी गई प्रविष्टि के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियों और जोड़ी जायेंगी:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
164-तारापुर	7. अनुमंडल पदाधिकारी, हवेली खडगपुर, मुंगेर।

उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में गतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर, प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

Election Commission of India

NOTIFICATION

Dated 25 October, 2021/3 Kartika, 1943 (SAKA)

No. 434/BR/LA/2015(2):- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 22 of the Representation of the People act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/BR-LA/2015 (2) dated 15th September, 2015, as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning Officer for Assembly Constituencies in the State of Bihar namely:

In the existing entries against column 1 of the table appended to the said notification, the following entries shall be added:-

Table

Number and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
164-Tarapur	7. Sub-Divisional Officer, Haveli Khadogpur, Munger

The appointment of above Officer, as Assistant Returning Officer in his respective constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in the constituency concerned.

By order,
SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 876-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>